

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमती देवकी देवी पति श्यामदेव प्रसाद उर्फ समुन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम: सराढु, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 870 E दिनांक.02.12.1994 एवं SO No. 1384 दिनांक. 10.5.2003 के तहत ग्राम: सराढु, थाना सं: 29 (रैयती) खाता सं. 254, प्लॉट संख्या. 663, 665, 700, 704, 662/1721, 1722, 1723, 1724, 698/1725, 1730P, 667, 670, 672, 674, 675, 676, 677, 679, 683, 685, 697, 687, 692 एवं 694, कुल रकवा 1.988 एकड़ रैयती भूमि, के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।


क. ऊपर उल्लेखित खाता सं.. 254, प्लॉट संख्या. 663, 665, 700, 704, 662/1721, 1722, 1723, 1724, 698/1725, 1730P, 667, 670, 672, 674, 675, 676, 677, 679, 683, 685, 697, 687, 692 एवं 694 जिसका रकवा क्रमश 0.04 एकड़, 0.02611 एकड़, 0.19 एकड़, 0.013 एकड़, 0.01889 एकड़, 0.00778 एकड़, 0.02333 एकड़, 0.00389 एकड़, 0.02333 एकड़, 0.245 एकड़, 0.13 एकड़, 0.12056 एकड़, 0.10056 एकड़, 0.00667 एकड़, 0.00278 एकड़, 0.11333 एकड़, 0.15778 एकड़, 0.07556 एकड़, 0.04722 एकड़, 0.09 एकड़, 0.19778 एकड़, 0.15667 एकड़, 0.02333 एकड़ और 0.05833 एकड़ है जिसे केवाला स. 3065 दिनांक 05.3.1991 के माध्यम से श्रीमती देवकी देवी पति श्यामदेव प्रसाद उर्फ समुन्द्र प्रसाद के द्वारा प्रसाद साव पिता स्व. जंजाली साव से खरीदगी की गयी थी।


अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: सराढु, थाना सं: 29 (रैयती) खाता सं.. 254, प्लॉट संख्या. 663, 665, 700, 704, 662/1721, 1722, 1723, 1724, 698/1725, 1730P, 667, 670, 672, 674, 675, 676, 677, 679, 683, 685, 697, 687, 692 & 694, कुल रकवा 1.988 एकड़ रैयती भूमि, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है, के तहत श्रीमती देवकी देवी पति श्यामदेव प्रसाद उर्फ समुन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम: सराढु, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

(sd/-)

महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व),
सी.सी.एल, राँची


27/04/22


27/04/2022